

27-10-20

उपखण्ड अधिकारी

27-10-2020

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान एवं  
पक्षकारान न्यायालयी समय में उपस्थित  
वही तीन बार आवार्जे लगाई गई।  
कोई उपस्थित वही होने से पत्रावली  
अदम हाजरी, अदम परकी में खारिज की  
जाती है।

S.D.O